लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश

गौतम नगर ,भोपाल–462021,दूरभाष 0755–2581064

क्र./अकादमिक/पुनर्गणना/105/2026/ 417 भोपाल, दिनांक 26/03/2026

प्रति,

(1) जिला शिक्षा अधिकारी,
समस्त जिले, मध्य प्रदेश

(2) विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी,
समस्त विकासखण्ड, मध्य प्रदेश

(3) समस्त प्राचार्य,
शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल, मध्य प्रदेश

विषयः– शैक्षणिक सत्र 2025–26 की कक्षा 9वीं एवं 11वीं की मुख्य परीक्षा के प्राप्तांकों की पुनर्गणना प्रक्रिया एवं शुल्क संबंधी निर्देश।

–0–

सत्र 2025–26 कक्षा 9वीं एवं 11वीं मुख्य परीक्षा का परिणाम दिनांक 23.03.2026 को जारी किया गया है। परीक्षा प्राप्तांकों की पुनर्गणना हेतु निम्न प्रक्रिया का पालन किया जाए–

(I) विद्यार्थी दिनांक 01.04.2026 से दिनांक 06.04.2026 तक अपने विद्यालय में आवेदन करेंगे।

(II) दिनांक 07.04.2026 से 09.04.2026 के मध्य सुविधा अनुसार ब्लॉक स्तरीय मूल्यांकन केन्द्र अधिकारी के निर्देशन में विषय शिक्षक के माध्यम से पुनर्गणना कार्य करवाया जाएगा।

(III) जिन विद्यार्थियों के प्राप्तांको में वृद्वि होती है तो उनकी सूची दो प्रतियों में तैयार कर एक प्रति संबंधित विद्यालय को एवं एक प्रति विकास खण्ड अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे।

(IV) विकासखण्ड अधिकारी EMS पोर्टल पर अपने लॉग इन से इन विद्यार्थियों के प्राप्तांकों में संशोधन हेतु संबंधित विषय को पोर्टल पर अनलॉक करेंगे।

(V) संबंधित विद्यालय के कक्षा अध्यापक EMS पोर्टल पर अपने लॉग इन से इन विद्यार्थियों के संशोधित अंकों की प्रविष्टि Marks Management में Retotaling Marks Entry विकल्प पर दिनांक 18.04.2026 तक करेंगे तथा मुख्य परीक्षा की प्रक्रिया की तरह ही लॉक करेंगे एवं परीक्षा प्रभारी एवं प्राचार्य वेरीफाई करेंगे।

(VI) दिनांक 21.04.2026 को पुनर्गणना की संशोधित अंकसूची पोर्टल से डाउनलोड की जा सकेगी।

2. प्रति छात्र पुनर्गणना शुल्क **प्रति विषय ₹10 रहेगा।**
प्राप्तांकों की पुनर्गणना शुल्क संबंधित विद्यालय के स्थानीय परीक्षा मद में जमा किया जाएगा।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

(के.के.द्विवेदी)
संचालक
लोक शिक्षण म0 प्र0

पृष्ठा.क./अकादमिक/ पुनर्गणना /105/2026/618 भोपाल, दिनांक 26/03/2026

प्रतिलिपिः

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.।
2. सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल, म.प्र.।
3. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
5. कलेक्टर, समस्त जिले म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
6. संचालक, म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद, भोपाल की ओर कार्यवाही हेतु।
7. संयुक्त संचालक, समस्त संभाग लोक शिक्षण म.प्र.।

संचालक

लोक शिक्षण म0 प्र0